रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2014/आश्विन 18, 1936

No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2014/ASVINA 18, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 716(अ).—केन्द्रीय सरकार,सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम-8) की धारा 2 के खण्ड (17 क) एवं धारा 47कके साथ पठित धारा 146 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन की नियुक्ति को विनियमित करने से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचनकी नियुक्ति संबंधी नियम, 2014 कहा है।

   (2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, --

   (क) "अधिनियम" से सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925(1925 का पंजाब अधिनियम-8) अभिप्रेत है;

   (ख) इसमें प्रयुक्त उन शब्दों और पदों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु इन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का क्रमश: वहीअर्थ होगा, जैसा अधिनियम में है।

3. **मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन की नियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम 4 के उप-नियम 3 के अधीन चयनित किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित कार्यों को निष्पादित करने के लिए 'मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन' के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

4. **तलाश-सह-चयन समिति द्वारा चयन की रीति-**

(1) केन्द्रीय सरकार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से कम से कम तीन ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल की मांग करेगी, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक न हो तथा जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हों।

(2) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पैनल प्राप्त हो जाने पर, तलाश-सह-चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे,मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन के पद के लिए वरीयता क्रम में उपयुक्त अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के एक पैनल की सिफारिश करेगी, अर्थात् :—

(i) गृह सचिव – अध्यक्ष

(ii) विधि सचिव – सदस्य

(iii) सचिव, व्यय विभाग – सदस्य

(3) मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन के पद के अंतिम चयन के लिए,तलाश-सह-चयन समिति (सर्च-कम-सेलेक्शन कमिटी) की सिफारिश को नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति को अग्रेषित किया जाएगा।

5. **मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन की पदावधि** : इस नियम 3 के अधीननियुक्त, मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन की पदावधि दो वर्ष की होगी, जिसे, यदि आवश्यक हो, तो नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति (ए सी सी) के अनुमोदन से एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

6. **वेतन और भत्ते** : मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन का वेतन और भत्ते, भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय वेतन और भत्तों के समान होंगे, जिसमें से पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी।

[सं. 17014/13/2014-आई एस-VII]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2014

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 146 read with clause (17A) of Section 2 and Section 47 A of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act VIII of 1925), the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment of the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Chief CommissionerGurdwara Elections Appointment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act VIII of 1925);

(b) Words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Appointment of Chief Commissioner,Gurdwara Elections.** - The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person selected under sub-rule-3 of rule-4 as the Chief Commissioner, Gurdwara Elections for performing the functions required under the Act.

4. **Manner of selection by Search-cum-Selection Committee.** -

(1) The Central Government shall seek from the Registrar, Punjab and Haryana High Court, a panel of at least three retired judges not exceeding the age of 70 years who have retired from the Punjab and Haryana High Court.

(2) On receipt of the panel of retired judges from the Punjab and Haryana High Court, the Search-cum-Selection Committee, consisting of the following members, shall recommend a panel of suitable candidate(s) for the post of Chief Commissioner, Gurdwara Elections in the order of preference, namely:-

(i)	Home Secretary	- Chairman
(ii)	Law Secretary	- Member
(iii)	Secretary, Department of Expenditure	- Member

(3) The recommendation of the Search-cum-Selection Committee shall be forwarded to the Appointments Committee of Cabinet (ACC) for final selection for the post of Chief Commissioner, Gurdwara Elections.

5. **Term of office of Chief Commissioner, Gurdwara Elections.** - The term of office of the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, so appointed under rule-3, shall be for a period of two years which may be extended by a period of one year, if considered necessary, with the approval of the Appointments Committee of Cabinet (ACC).

6. **Pay and allowances.** - The pay and allowances to the Chief Commissioner, Gurdwara Elections shall be as admissible to a Secretary to the Government of India minus pension.

[No.17014/13/2014-IS.VII]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.